308/RTI/2014 → Dy. 5/RTI/2014 15/4/2014
9/4/2014

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

65/SDCPP-III/2014 15/4

नई दिल्ली, दिनांक : 09/04/2014 11/4/14

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री ....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के दिनांक 18/03/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... में ~~केन्द्रीय डाक~~ दिनांक 26/03/2014 को प्राप्त) को .... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाए।

383-US(PP)/14 15.4.14

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 31/03/2014 की रसीद के .... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

(............)
अवर सचिव, भारत सरकार

107/DS(PP) 15/4/2014

सेवा में

(i) निदेशक (...), गृह मंत्रालय, ..., नई दिल्ली (...)
(ii) उपसचिव (...), गृह मंत्रालय, ..., नई दिल्ली (...)
(iii) निदेशक (...), गृह मंत्रालय, ..., नई दिल्ली (...)
(iv) उपसचिव (...), गृह मंत्रालय, ..., नई दिल्ली (...)
(v) ..., गृह मंत्रालय, ..., नई दिल्ली (...)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री ....

....

.... 124001

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Urgent RTI
US(PP-I)
15/4/14

सेवा में

जन सूचना अधिकारी

गृह मन्त्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- वांछित सूचना लेने हेतु।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपया करें।

(1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल सकता है? अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजीकृत है। अगर हाँ तो कहाँ से पंजीकृत है।

(2) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को Z श्रेणी या इसी तरह की सुरक्षा प्रदान कर रखी है।

(3) भारत में कितने व्यक्तियों को Z श्रेणी की सुविधा प्रदान कर रखी है।

(4) ~~कभी~~ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था (b) अगर हाँ तो किस सन् में लगा था और उसकी वजह क्या थी?

(5) जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका क्या नियम है। गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखता है। विदेशों से भारत में कितने संगठनों को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए।

(6) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा ले सकते है। उस नियम का पूरा विवरण चाहिए।

(7) विदेशी फंड प्राप्त करने का क्या नियम है। पूरा विवरण चाहिए।

(8) क्या संविधान के अनुसार ...

(9) क्या जम्मू-कश्मीर मामले पर भी कोई समझौता है अगर हाँ तो इसके कार्य क्या है।

(10) देश में दूसरे देशों के साथ सन्धि किस आधार पर की जाती है पूरा विवरण चाहिए।

(11) सिन्धु जल सन्धि किस आधार पर की गई इसकी क्या वजह थी पूरा विवरण चाहिए।

(12) सिन्धु जल सन्धि किन-किन देशों के बीच हुई। इस सन्धि के बीच क्या फैसला हुआ पूर्ण विवरण चाहिए।

(13) अब तक भारत की किन-किन देशों के साथ सन्धियाँ हुई हैं और उनमें क्या निर्णय हुए हैं पूर्ण विवरण चाहिए।

धन्यवाद

दिनांक - 18/3/14

निवेदक
दीपक राठी
192/8 प्रेम नगर
पुलिस लाइन के पीछे
रोहतक - 124001
फोन - 9215887388

स्पीड पोस्ट द्वारा

समयबद्ध/आर.टी.आई. मामला

सं0 11014/4/2014-पी.पी.-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नीति नियोजन प्रभाग

Pl. [illegible] R&I Section with EHCC

एन0डी0सी0सी0-II भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001

दिनांक 21 अप्रैल, 2014

22 APR 2014

22 APR

सेवा में,

श्री दीपक राठी,

592/20, प्रेम नगर,

पुलिस लाइन के पीछे,

रोहतक-124001

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 18.03.2014 के आर0टी0आई0 आवेदन का अवलोकन करें जो आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 10, 11, 12 और 13 के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस मंत्रालय के श्री एस0 सामंत, अवर सचिव, आर0टी0आई के दिनांक 11.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2014-आर0टी0आई के साथ इस प्रभाग में दिनांक 15.04.2014 को प्राप्त हुआ था। उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति आपको भी भेजी गई है। अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध जानकारी आपको निम्नानुसार उपलब्ध कराई जा रही है:

2. <u>बिन्दु संख्या</u> **10:** जिस देश के साथ भारत संधि करने का प्रस्ताव करता है उसे आगे के प्रेषण हेतु इस मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को दांडिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि का भारतीय मानक प्रारूप (आई0एस0डी0) भेजा जाता है, विदेश मंत्रालय से उस मामले में उस देश की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है। संबंधित देश की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, मामले की और अधिक जांच की जाती है और यदि भारत व संबंधित देश दोनों संधि के मूल-पाठ से सहमत होते हैं तो, दोनों देशों द्वारा अपेक्षित आंतरिक औपचारिकताओं का अनुसरण करने के पश्चात दोनों देशों के मध्य इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके विपरीत, यदि संधि का प्रारूप हमारी टिप्पणियों/विचारों

हेतु विदेश से प्राप्त होता है तो इसकी जांच की जाती है और इस पर की गई हमारी टिप्पणियां/विचार विदेश मंत्रालय के माध्यम से उस देश को भेजे जाते है और शेष प्रक्रिया वही रहती है।

3. **<u>बिन्दु संख्या 11 और 12</u>:** इन बिन्दुओं का विषय अर्थात् सिंधु जल संधि जल संसाधन मंत्रालय (एम0डब्ल्यू0आर0) और विदेश मंत्रालय की कार्य प्रणाली से अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इस संबंध में इस प्रभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर, आर0टी0आई0 अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत इन बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, यदि उनके पास उपलब्ध है तो, आपका आर0टी0आई0 आवेदन जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पी0ए0आई0 (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) प्रभाग को अंतरित किया जा रहा है। तदनुसार इस संबंध में और अधिक जानकारी हेतु आपसे जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

4. **<u>बिन्दु संख्या 13:</u>** दांडिक मामलों में भारत द्वारा पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एम0एल0ए0टी0) पर 35 देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और ये सन्धियां प्रवृत्त हो गई हैं। इन देशों की एक सूची संलग्न है। आर0टी0आई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत् आपके आर0टी0आई की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय के आई0एस0-II प्रभाग और सी0बी0आई0 को भी अंतरित की जा रही है और इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु, यदि कोई हो, आप कृपया उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

5. अपील, यदि कोई हो तो श्री शैलेश, संयुक्त सचिव (पी0पी0) नीति नियोजन प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

भवदीय,

(डी0के0 पन्त)
उप सचिव, भारत सरकार एवं सी0पी0आई0ओ0

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

श्री दीपक राठी के दिनांक 18.03.2014 के आर0टी0आई0 आवेदन की प्रति सहित एक प्रति आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसके साथ निम्नलिखित को अंतरित की जा रही है:-

(i) जल संसाधन मंत्रालय (ध्यानार्थ, श्री के0 वोहरा, आयुक्त (सिंधु) कमरा संख्या 814, आठवां तल, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित

सी0पी0आई0ओ0 द्वारा इस मंत्रालय को सूचित करने के साथ आवेदक को सीधे ही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए।

(ii) पी0ए0आई0 प्रभाग, विदेश मंत्रालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 (ध्यानार्थ: श्री रुदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (पी0ए0आई0) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित सी0पी0आई0ओ0 द्वारा इस मंत्रालय को सूचित करते के साथ आवेदक को सीधे ही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए।

(iii) श्री एन0के0 जॉब, उप सचिव (विधिक) और सी0पी0आई0ओ, आई0एस-।। प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001 को श्री राठी के आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 13 के संबंध में इस प्रभाग को सूचित करते हुए उन्हें सीधे ही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, यदि कोई है।

(iv) सहायक निदेशक, आई0पी0सी0सी0, सी0बी0आई0, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को श्री राठी के आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 13 के संबंध में इस प्रभाग को सूचित करते हुए उन्हें सीधे ही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, यदि कोई है।

बी.के. पंत

(बी0के0 पन्त)

उप-सचिव, भारत सरकार एवं सी0पी0आई0ओ0

सूची

1. आस्ट्रेलिया
2. बहरीन
3. बंगलादेश
4. बेलारूस
5. बोस्निया और हरज़ेगोविना
6. बुल्गारिया
7. कनाडा
8. मिस्र
9. फ्रांस
10. हांग कांग एस0ए0आर0
11. ईरान
12. कज़ाकिस्तान
13. कुवैत
14. किरगिज़ गणराज्य
15. मलेशिया
16. मॉरीशस
17. मेक्सिको
18. मंगोलिया
19. म्यांमार
20. रूस
21. सिंगापुर
22. दक्षिण अफ्रीका
23. दक्षिण कोरिया
24. स्पेन
25. श्री लंका
26. स्विटज़रलैंड
27. ताजिकिस्तान
28. थाइलैंड
29. तुर्की
30. यूक्रेन
31. संयुक्त अरब अमीरात
32. ब्रिटेन
33. संयुक्त राज्य अमेरिका
34. उज्बेकिस्तान
35. वियतनाम